

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 34/2012 सत्रवाद

संस्थित दिनांक 20.01.2012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन

बनाम

1. बंटी सिंह उर्फ धीरसिंह पुत्र गब्बर सिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष।
2. धर्मा उर्फ धर्मवीरसिंह पुत्र मानसिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष।
3. छोटा उर्फ छोटेसिंह पुत्र दरजानसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष।
4. इन्द्रवीरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष।
समस्त निवासी ग्राम बंकेपुरा थाना गोदह, जिला भिण्ड म.प्र.।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस.के.तिवारी
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 850/2009 इ०फौ०
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र० 275/2014

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता

//दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.//
//आज दिनांक 11-8-2015 को घोषित किया गया//

01. अभियुक्तगण का विचारण धारा 329 भा०दं०वि० के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 27.07.2009 को 07:45 बजे ग्राम बंकेपुरा डीपी के पास

थाना गोहद में केसों के खर्च के रूप में फरियादी से रूपयों की मांग की जो कि आपके विरुद्ध फरियादी की रिपोर्ट पर केस कायम हुए थे और उक्त अवैध कार्य करने हेतु फरियादी को मजबूर करने हेतु उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

02. यह अविवादित है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा होने के आधार पर आरोपीगण को पहले ही धारा 341, 294, 325/34, 427 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि फरियादी रामलक्ष्मण सिंह उर्फ छुन्ना के द्वारा बताया कि आरोपी धर्मा, बंटी, इन्द्रवीर को थाना गोहद चौराहा के द्वारा मय हथियारों के पकड़ा गया था और उसके बाद बंटी गुर्जर और धर्मा गुर्जर को लूट के मामले में भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उक्त आरोपीगण को यह शंका थी कि फरियादी ने उनकी मुखवरी कर के पकड़वाया है। उसके मना करने के बाद भी उसकी बात नहीं मानी और यह कहते थे कि मुकद्दमे में उनका जो खर्चा हो रहा है वह उससे ले लेगे। इसी उद्देश्य से दिनांक 27.07.2009 को सुबह करीब पौने आठ बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से अपने बड़े भाई बलवीर को बिठाकर गोहद घर का सामान लेने के लिए जा रहा था, पीछे से उनके पिता सिकंदरसिंह भी साइकिल से आ रहे थे। जैसे ही गाँव से बाहर पुरा में लगी हुई डीपी के पास पहुँचे आरोपीगण धर्मा, बंटी लुहांगी लाठी लिए हुए तथा छोटा और इन्द्रबीर लाठियाँ लिए हुए मिले और उसकी मोटरसाइकिल रोक ली तथा रोककर उसकी मोटरसाइकिल को चारों ने लाठियाँ मारकर तोड़ दिया। उसे आरोपी ने माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हुए उसके साथ मारपीट की। आरोपी बंटी के द्वारा एक लाठी उसके दोनों पेरों में सामने मारी गई जिससे खून निकल आया और आरोपी धर्मा ने भी लाठी मारी जो कि बाँए हाथ की कलाई में लगने से हाथ टूट गया था। इन्द्रबीर और छोटा ने भी शरीर में जगह जगह लाठियाँ मारी। आरोपी बंटी ने उसका सेमसंग का मोबाइल मांग लिया और धर्मा ने उसका पर्स लेकर उसमें से सौ-सौ रूपए के पांच नोट निकालकर और मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन ले गये और यह कहने लगे कि केसों का खर्च तेरा बाप देगा और उसका मोबाइल पर्स ले गए। उसके बड़े भाई बलवीरसिंह और पिता सिकंदर सिंह बचाने के लिए आए तो चारों भाग गए। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना गोहद में की गई। जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र. 183/09 धारा 327, 294, 323 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान नक्शा मौका बनाया गया, नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु

अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरान्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 329 विकल्प में धारा 325/34 एवं 427 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को धारा 341, 294, 325/34, 427 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं वर्तमान में उनका विचारण धारा 329 भा0दं0वि0 के तहत किया जा रहा है।

05. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

क्या दिनांक 27.07.09 को ग्राम वंके पुरा डीपी के पास थाना गोहद क्षेत्र में फरियादी से कैसे के खर्च के रूप में रूपयों की मांग अवैध रूप से करने और इस हेतु उसे मजबूर करने हेतु उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की?

—: सकारण निष्कर्ष:—

07. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 1 के अनुसार उन्होंने दिनांक 27.07.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पदस्थ दौरान आहत छुन्ना उर्फ रामलक्ष्मण का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिसमें आहत के बाएं एवं दाएं भुजा, पेर, सीना, जांघ, पीठ एवं कूल्हे में चोट पाई थी जो कि सभी चोटें कड़े एवं भौतरी वस्तु से पहुँचाई जाकर परीक्षण के 12 घण्टे के अंदर आना संभावित थी। चोट क्रमांक 1, 2 व 3 के प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी एवं शेष चोटें सामान्य प्रकार की थी। प्रकरण में संलग्न एक्सरे रिपोर्ट जो कि प्रमाणित नहीं हुई है, किन्तु एक्सरे रिपोर्ट में अस्थि के एक्सरे परीक्षण में अलना नामक हड्डी के निचले हिस्से के 1/2 भाग पर अस्थिभंग होना पाया गया था। इस प्रकार आहत के शरीर पर चोट व अस्थिभंग होने का तथ्य प्रमाणित होना पाया जाता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आहत को उक्त चोटें आरोपीगण के द्वारा अवैध राशि की मांग के संबंध में

उसे मजबूर करने के लिए उसे स्वेच्छया मारपीट कर घोर उपहति कारित की?

08. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी जिसमें कि घटना के फरियादी/आहत छुन्ना उर्फ रामलक्ष्मण अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में केवल यह बताया गया है कि उसकी आरोपीगण से कहा सुनी हो गई थी और उस समय काफी भीड़ इकट्ठी हो थी। भीड़ में किसी ने उसके सिर में चोट पहुँचाई थी और उसके द्वारा प्र.पी. 2 की रिपोर्ट लिखाई गई थी। इस प्रकार फरियादी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में घटना में आरोपीगण या किसी आरोपी की मौजूद होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार के कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में घटना के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं होती है।

09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी बलवीर अ0सा0 3, भूरा अ0सा0 4, सुखेन्द्रसिंह अ0सा0 5, सुरेश अ0सा0 6 के कथनों में भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन करने वाला जिसमें कि आरोपीगण या किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित करने किये जाने के तथ्य का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं हुई है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

10. प्रकरण के विवेचना अधिकारी डी.एस.धनेले अ0सा0 8 जिनके द्वारा कि प्रकरण की विवेचना की कार्यवाही के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 3 तैयार करना, नुकसानी पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया जाना तथा लाठी की जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 16 बनाया जाना और आरोपगण से मेमोरेडम के आधार पर जप्ती की कार्यवाही के संबंध में बताया गया है, किन्तु मात्र उक्त विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही मात्र के आधार पर जबकि घटना के फरियादी एवं अन्य बताए गए चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में आरोपीगण के मौजूदगी अथवा उनके द्वारा घटना कारित करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। उक्त विवेचना अधिकारी के कथनों के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती।

11. इस प्रकार प्रकरण में आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य विद्यमान होना नहीं पाई जाती है जिससे कि आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जा सके। तदनुसार आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु साक्ष्य विद्यमान न होने से आरोपीगण को आरोपित अपराध धारा 329 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा बताई गई तीन वांस की लाठियाँ तथा एक लुहांगी लाठी अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए। प्रकरण में जप्त सुदा पर्स जिसके अंदर फरियादी रामलक्षनसिंह की मोटरसायकिल क्रमांक एम०पी००६एम 9374 का रजिस्ट्रेशन तथा सौ सौ रुपये के पांच नोट रखा होना बताया गया है। जप्त सुदा पर्स मय रजिस्ट्रेशन फरियादी रामलक्षनसिंह को अपील अवधि पश्चात् वापिस किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड